

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 454 सन 2018

अनवान :-

1. श्योनारायण पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भानीराम पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. दौलतराम पुत्र मन्साराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
2. मोहनलाल पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर ।
3. रामचन्द्र पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
4. किस्तुरी पत्नि बृजलाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. राकेश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
6. मीरा पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
7. रोशनी 8 हीरा 9 सुमित्रा पुत्रीया दौलतराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 13/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 103 के खसरा न0 278/0.8850, 420/10.7019, खसरा न0 432/2 की 3.0486, 472 की 0.7337 हैव कुल 15.3697 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मन्साराम पुत्र बस्तीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मन्साराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मन्साराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त पैतृक सम्पति की आय से प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं मृतक बृजलाल के नाम से भूमि खरीद कर उनके नाम से दर्ज करवा दी जब वे नाबालिग थे वाद के नाम से कोई भूमि खरीद नहीं की गई सम्पूर्ण दादालाई भूमि का विवरण वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 वादी की बहने हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री हैं प्रतिवादी संख्या 7, ता 9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से भूमि बराबर बराबर करने के लिये बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे हैं बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

20

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मन्शाराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है तथा मन्शाराम पुत्र बस्तीराम ने अपने जीवनकाल में पैतृक सम्पत्ति की आय से भूमि खरीद कर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 व मृतक बृजलाल के नाम से दर्ज करवा दी थी जब वे नाबालिग थे यह भूमि भी पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी में आती है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 103 के खसरा न0 278/0.8850 ,420/10.7019, खसरा न0 432/2 की 3.0486, 472 की 0.7337हैक् कुल 15.3697हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मन्शाराम पुत्र बस्तीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मन्शाराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा मन्शाराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त पैतृक सम्पत्ति की आय से प्रतिवादी संख्या 2 ,3 एवं मृतक बृजलाल के नाम से भूमि खरीद कर उनके नाम से दर्ज करवा दी जब वे नाबालिग थे वाद के नाम से कोई भूमि खरीद नहीं की गई सम्पूर्ण दादालाई भूमि का विवरण वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7, ता 9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 103 के खसरा न0 278/0.8850, 420/10.7019, खसरा न0 432/2 की 3.0486, 472 की 0.7337 है कुल 15.3697 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि मन्शाराम पुत्र बस्तीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मन्शाराम पुत्र बस्तीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा मन्शाराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बहिब के हकदार है।

मन्शाराम पुत्र बस्तीराम ने अपने जीवन काल में उक्त पैतृक सम्पत्ति की आय से प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं मृतक बृजलाल के नाम से भूमि खरीद की गई थी जब वे नाबालिग थे पैतृक सम्पत्ति की आय से खरीद की गई भूमि भी पैतृक ही मानी जावेगी जिसे प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 जो वादी की बहने हैं ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 103 में दर्ज 15.3697 हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 श्योनारायण का 670 हिस्सा मोहनलाल का 180 हिस्सा व रामचन्द्र का 380 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा धानसीया के खसरा न0 1279 की 19.18 बीघा भूमि में भानीराम का 268 हिस्सा एवं मोहनलाल का 130 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. श्योनारायण पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भानीराम पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. दौलतराम पुत्र मन्साराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. मोहनलाल पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. रामचन्द्र पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
4. किस्तुरी पत्नि बृजलाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. राकेश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
6. मीरा पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
7. रोशनी 8 हीरा 9 सुमित्रा पुत्रीया दौलतराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 454 सन 2018 निर्णय दिनांक- 13/3/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 103 में दर्ज 15.3697 हैक्ठु भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 श्योनारायण का 670 हिस्सा मोहनलाल का 180 हिस्सा व रामचन्द्र का 380 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा धानसीया के खसरा नं० 1279 की 19.18 बीघा भूमि में भानीराम का 268 हिस्सा एवं मोहनलाल का 130 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)